

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

नु.न. 355/18

सरकार

बनाम

श्री: सरदार सिंह भू
श्री: श्री सिंह जी खजूत

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 09/02/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री सरदार सिंह पुत्र श्री श्री सिंह जाति खजूत निवासी कोठड़ा तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / खरीफ में ग्राम कोठड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 326 रकबा 300m² किस्म गोम भूमि से 300m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से पार्षेय कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.06 का 50 गुना 3 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फेसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/02/18
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेंज नं०. 103 पर
वर्ष 2017-18 में केस नं० 326 की राशि ताकदी रकबा 300 की जमा कायमी की गई।
दिनांक 26/2/18 तहसील दौसा लेखाकार
तहसील-महवा